संख्या–1/2418/आठ–1–14–80विविध/10

प्रेषक,

सं. 1128/आ.प./2014
27.8.14

**सदाकान्त,**
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2014

**विषय : ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन की प्रकिया के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को क्रमशः 10–10 प्रतिशत कुल (20 प्रतिशत) आवासों का निर्माण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 3188/आठ–1–13–80विविध, दिनांक 05.12.2013 द्वारा नीति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(vii) "भवनों के आवंटन की प्रक्रिया" के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही समय से शासन द्वारा समय–समय पर घोषित/संशोधित नीति के अनुसार पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रारम्भ कर की जायेगी। भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही लाभार्थियों को भवनों का आवंटन नियमानुसार किया जाएगा, जिसके लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

**2**– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

2.1 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन प्रचलित शासकीय नीतियों एवं प्रकियानुसार किया जायेगा।

2.2 निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गो के लाभार्थियों को निम्न समिति के माध्यम से किया जायेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र | अध्यक्ष |
| 2 | अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) | सदस्य |
| 3 | नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय निकाय | सदस्य |
| 4 | विकासकर्ता के प्रतिनिधि | सदस्य |

2.3 भवनों के आवंटन के पूर्व विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मांग पंजीकरण किया जायेगा और भवनों का आवंटन उक्त प्रस्तर–2.1 में गठित समिति द्वारा पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार किया जायेगा। समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवनों का आवन्टन पात्र लाभार्थियों के पक्ष में हो।

2.4 भवनों के आवंटन में प्रचलित शासकीय नीतियों (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

2.5 भवनों का आवंटन लीजहोल्ड के आधार पर किया जाएगा तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात यह फ्री–होल्ड माना जायेगा, जिसके सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा फ्री–होल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश एक माह के अन्दर जारी किया जायेगा। इस हेतु लाभार्थी द्वारा कोई भी फ्री–होल्ड शुल्क देय नहीं होगा। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति, पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को हस्तान्तरित हो सकेगा।

2.6 आवंटियों द्वारा सीलिंग कॉस्ट के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय–विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

2.7 आवंटियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत (पात्र होने की स्थिति में) ऋण/अनुदान प्राप्त कराने में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

**3–** उक्त नीति के अधीन निर्मित एवं आवंटित भवनों की प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा शासन द्वारा आवास बन्धु स्तर पर की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(सदाकान्त)** 21/8/17
प्रमुख सचिव

**संख्या :1/2518(1)/आठ–1–14–80विविध/10 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास एवं निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

**(शिव जनम चौधरी)**
संयुक्त सचिव